

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष

विकास प्राधिकरण,

अलीगढ़।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक-18 मई, 2002

विषय : अलीगढ़ महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 329/नियोजन/2002-03 दिनांक 14 मई, 2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 10.5.2002 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव संख्या-3 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 'प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण सम्बन्धी त्रुटि रह गई थी, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। अतः अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :—

- (i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सर्वानुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,
- (ii) क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (युप हाऊसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सर्वानुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,
- (iii) क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएः—

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को अलीगढ़ महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना रक्तानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियम की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

प्रमुख सचिव।

संख्या : 379(1)9—आ—3—72वि० / 94 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण अलीगढ़।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव।

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष

मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—18 मई, 2002

विषय : मथुरा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 115/नियोजन/म.वृ.वि.प्रा./2002—03 दिनांक 16.4.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण बोर्ड की 47वीं बैठक दिनांक 3.4.2002 में मद संख्या—1/47 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग—5 'प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण सम्बन्धी त्रुटि रह गई थी, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। अतः मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :—

(i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक—1.1 पर एकल आवास को कृषि भू—उपयोग जोन के (कालम—14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(ii) क्रमांक—1.2 पर समूह आवास (युप हाउसिंग) को कृषि भू—उपयोग जोन के कालम—14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(iii) क्रमांक—6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक—6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू—उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :—

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को मथुरा-वृन्दावन महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना रथानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियम की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार निश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

प्रमुख सचिव।

संख्या : (1)9—आ—3—72वि० / 94 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण मथुरा-वृन्दावन।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव।

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक-18 मई, 2002

विषय : मुरादाबाद महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 13/मु.वि.प्रा./अधि. (बैठक)-02 दिनांक 11.4.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की 74वीं बैठक दिनांक 4.4.2002 में मद संख्या-75/5 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 "प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण सम्बन्धी त्रुटि रह गई थी, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। अतः मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :—

- (i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,
- (ii) क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (गुप्त हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,
- (iii) क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :—

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को मुरादाबाद महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना रथानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियम की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

प्रमुख सचिव।

संख्या : (1)9—आ—3—72वि० / 94 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण मुरादाबाद।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव।

प्रेषक,
यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—19 जून, 2002

विषय : आगरा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 96/जी.डी./सी.ए.पी./2002 दिनांक 25.1.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ शासनादेश संख्या 2898/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 30.6.2001 जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स विकास प्राधिकरण की नियमित बोर्ड बैठक दिनांक 29.12.2001 में मद संख्या—4 के अन्तर्गत यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2898/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 30 जून 2001 के अधीन जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कतिपय विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत संशोधन किया गया था और संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को इस आशय से प्रेषित किए गए थे कि जिन प्राधिकरणों ने पूर्व में जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत कर लिया है, उनके द्वारा संशोधित प्रारूप को पुनः अंगीकृत करने की कार्यवाही की जाए। इसी आशय से संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की प्रति समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों/सचिवों को विकास प्राधिकरणों के कार्य—कलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 29.1.2002 में उपलब्ध कराई गई थी।

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा जारी संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को आवश्यक परिष्कारों सहित विकास प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कराने के उपरान्त यथाशीघ्र शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या : 1653(1) / 9—आ—3—72वि० / 94 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव ।

प्रेषक,
यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष

वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—19 जून, 2002

विषय : वाराणसी महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 209/वि.प्रा./न.नि. /2001—2002 दिनांक 18.9.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ शासनादेश संख्या 2898/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 30.6.2001 जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 7.8.2001 में मद संख्या—7 के अन्तर्गत यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2898/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 30 जून 2001 के अधीन जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कतिपय विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत संशोधन किया गया था और संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को इस आशय से प्रेषित किए गए थे कि जिन प्राधिकरणों ने पूर्व में जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत कर लिया है, उनके द्वारा संशोधित प्रारूप को पुनः अंगीकृत करने की कार्यवाही की जाए। इसी आशय से संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की प्रति समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों/सचिवों को विकास प्राधिकरणों के कार्य—कलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 29.1.2002 में उपलब्ध कराई गई थी।

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा जारी संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को आवश्यक परिष्कारों सहित विकास प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कराने के उपरान्त यथाशीघ्र शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या : 1888 (1) / 9—आ—3—72वि० / 94 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव ।

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष

हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण,

हापुड़ पिलखुवा।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—19 जून, 2002

विषय : हापुड़—पिलखुवा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 155/सचिव/प्रशा./एच.पी.डी.ए./2001 दिनांक 20.9.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ शासनादेश संख्या 2898/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 30.6.2001 जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स परिचालन के माध्यम से विकास प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2898/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 30 जून 2001 के अधीन जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कतिपय विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत संशोधन किया गया था और संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को इस आशय से प्रेषित किए गए थे कि जिन प्राधिकरणों ने पूर्व में जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत कर लिया है, उनके द्वारा संशोधित प्रारूप को पुनः अंगीकृत करने की कार्यवाही की जाए। इसी आशय से संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की प्रति समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों/सचिवों को विकास प्राधिकरणों के कार्य—कलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 29.1.2002 में उपलब्ध कराई गई थी।

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा जारी संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को आवश्यक परिष्कारों सहित विकास प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कराने के उपरान्त यथाशीघ्र शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव

संख्या : 1927(1) / 9—आ—3—72वि० / 94 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
3. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—19 जून, 2002

विषय : गोरखपुर महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 12/181—एस.टी.—सचिव/2001—2002 दिनांक 28.5.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 16.5.2002 को सम्पन्न हुई 76वीं बैठक के मद संख्या—75.07 पर सर्वसम्मति से अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग—5 'प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण सम्बन्धी त्रुटि रह गई थी, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। अतः गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :—

- (i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक—1.1 पर एकल आवास को कृषि भू—उपयोग जोन के (कालम—14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,
- (ii) क्रमांक—1.2 पर समूह आवास (युप हाउसिंग) को कृषि भू—उपयोग जोन के कालम—14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,
- (iii) क्रमांक—6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक—6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू—उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :—

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को गोरखपुर महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना रक्तानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियम की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 2193(1)9—आ—3—72वि० / 94 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण गोरखपुर।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

विकास प्राधिकरण,

उन्नाव—शुक्लागंज।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—27 अगस्त, 2002

विषय : उन्नाव—शुक्लागंज महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 57/कैम्प/वि.प्रा./2002—2003 दिनांक 16.7.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव उन्नाव—शुक्लागंज विकास प्राधिकरण बोर्ड की 27वीं बैठक दिनांक 15.4.2002 में मद संख्या—27.04 में यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग—5 “प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण सम्बन्धी त्रुटि रह गई थी, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। अतः उन्नाव—शुक्लागंज विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :—

(i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक—1.1 पर एकल आवास को कृषि भू—उपयोग जोन के (कालम—14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए।

(ii) क्रमांक—1.2 पर समूह आवास (युप हाउसिंग) को कृषि भू—उपयोग जोन के कालम—14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(iii) क्रमांक—6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक—6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू—उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :—

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के वर्ष 2000-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देन हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियम की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 3290(1)9—आ—3—72वि०/94 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, उन्नाव—शुक्लागंज विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

मेरठ विकास प्राधिकरण,

मेरठ।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—27 अगस्त, 2002

विषय : मेरठ महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 32/नियोजन-3./2002 दिनांक 8.5.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 25.1.2002 को आयोजित बैठक में कतिपय संशोधनों सहित अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है।

(i) मेरठ महायोजना के प्रस्तावित भू—उपयोग जोन्स की श्रेणियों के दृष्टिगत कालम—4 ए के रूप में “आवासीय कार्यशाला” भू—उपयोग जोन शामिल किया जाए जिसमें विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता संलग्न मैट्रिक्स के अनुसार रखी जाए,

(ii) लघु उद्योग तथा बृहद उद्योग भू—उपयोग जोन्स में फुटकर दुकानों, वाणिज्यिक / व्यापारिक कार्यालय एवं नवीन टाउनशिप / योजना के भाग के रूप में अनुमन्यता हेतु शर्त—26 जोड़ी जाए तथा शो—रूम हेतु अधिकतम भू—आच्छादन 10 प्रतिशत अनुमन्य किए जाने हेतु शर्त—19 (ए) जोड़ी जाए,

(iii) कृषि भू—उपयोग जोन्स में पेट्रोल / डीजल फिलिंग स्टेशन न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर ही अनुमन्यता हेतु शर्त—8 (ए) जोड़ी जाए तथा उच्च माध्यमिक, इण्टर कालेज / महाविद्यालय

हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत भू-आच्छादन एवं 0.2 एफ.ए.आर. की अनुमन्यता हेतु शर्त-27 जोड़ी जाए,

(iv) विभिन्न भू-उपयोगों में समूह आवास, होटल, सेवा/कुटीर उद्योग, गैस गोदाम, टेलीफोन एक्सचेन्ज, अस्पताल, बारातघर/बैंकटहाल, टेलीफोन/रेडियो व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र, पशुबधशाला आदि क्रियाओं की अनुमन्यता हेतु संलग्न मैट्रिक्स के अनुसार प्राविधार किए जाएं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 “प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण/प्रिटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है:-

(i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए।

(ii) क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (युप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(iii) क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :—

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अद्व-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण आवास विभाग के वर्ष 2002-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत जोनिंग रेगुलेशन्स के संशोधित मैट्रिक्स की एक प्रति आपके उपयोगार्थ संलग्न है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नए जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (6 पृष्ठ)

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 3294(1)9—आ—3—72वि०/94 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव ।

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—27 अगस्त, 2002

विषय : गाजियाबाद महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पत्र संख्या 332/नियो.अनु./2002 दिनांक 10.7.2002 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 17.6.2002 को आयोजित बैठक में कतिपय संशोधनों विशेष रूप से शासन की औद्योगिक एवं फिल्म नीति के परिप्रेक्ष्य में अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड बना निम्न संशोधनों सहित अंगीकृत प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन प्रदान किया जाता है:—

(i) “बृहद् उद्योग” भू—उपयोग जोन में पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज एवं उच्च तकनीकी एवं मैनेजमेन्ट संस्थान, सिनेमा तथा मल्टीप्लेक्स विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य होगा,

(ii) “सार्वजनिक एवं अर्द्ध—सार्वजनिक सुविधाएं” भू—उपयोग में पशुबधशाला शहरीकरण क्षेत्र (न्ताइंदंपेंइसम) के बाहर सशर्त अनुमन्य होगा,

(iii) आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुलग्नक—(ए) के अनुसार अनुमन्य दैनिक उपयोग की दुकानों हेतु प्रभाव शुल्क देय होगा।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग—5 “प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण/प्रिटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है:—

(i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(ii) क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (युप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(iii) क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :—

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण आवास विभाग के वर्ष 2002-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत जोनिंग रेगुलेशन्स के संशोधित मैट्रिक्स की एक प्रति आपके उपयोगार्थ संलग्न है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नए जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (6 पृष्ठ)

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव

संख्या : 3295(1)9-आ-3-72वि0 / 94 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

विकास प्राधिकरण,

मुजफ्फरनगर।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—27 अगस्त, 2002

विषय : मुजफ्फरनगर महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 516/एम.डी.ए./2002 दिनांक 20.6.2002 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा परिचालन के माध्यम से यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग—5 “प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण/प्रिटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थीं, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है, अतः मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :—

(i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक—1.1 पर एकल आवास को कृषि भू—उपयोग जोन के (कालम—14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(ii) क्रमांक—1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू—उपयोग जोन के कालम—14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(iii) क्रमांक—6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक—6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू—उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएः—

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध—सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू—उपयोग जोन्स में

उक्त क्रिया को अनुमत्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के वर्ष 2000–01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू—उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नए जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (6 पृष्ठ)

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 3291(1)9—आ—3—72वि० / 94 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,।
2. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

आगरा विकास प्राधिकरण,

आगरा।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—27 अगस्त, 2002

विषय : आगरा महायोजनान्तर्गत संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 119/सी.ए.पी./2002 दिनांक 27.7.2002 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 26.6.2002 को सम्पन्न हुई बैठक के मद संख्या—6 पर सर्वसम्मति से अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग—5 “प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता प्राविधानों में टंकण/प्रिटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है, अतः आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :—

(i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक—1.1 पर एकल आवास को कृषि भू—उपयोग जोन के (कालम—14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(ii) क्रमांक—1.2 पर समूह आवास (युप हाउसिंग) को कृषि भू—उपयोग जोन के कालम—14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(iii) क्रमांक—6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक—6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू—उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएँ :—

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमत्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के वर्ष 2000-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नए जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (6 पृष्ठ)

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 3292(1)9-आ-3-72वि0 / 94 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, |
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

विकास प्राधिकरण,

बुलन्दशहर—खुर्जा।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—27 अगस्त, 2002

विषय : बुलन्दशहर—खुर्जा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1436/वि.प्रा./एस.टी./2002 दिनांक 20.6.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव बुलन्दशहर—खुर्जा विकास प्राधिकरण बोर्ड की 25वीं बोर्ड दिनांक 3.5.2002 को मद संख्या—25/11 के अन्तर्गत नए भू—उपयोग जोन्स के साथ सर्वसम्मति से यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग—5 “प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता प्राविधानों में टंकण/प्रिटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियाँ रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है, अतः बुलन्दशहर—खुर्जा विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :—

(i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक—1.1 पर एकल आवास को कृषि भू—उपयोग जोन के (कालम—14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(ii) क्रमांक—1.2 पर समूह आवास (युप हाउसिंग) को कृषि भू—उपयोग जोन के कालम—14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(iii) क्रमांक—6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक—6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू—उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएँ :—

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमत्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के वर्ष 2000-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नए जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (6 पृष्ठ)

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 3293(1)9-आ-3-72वि0 / 94 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण, |
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

विकास प्राधिकरण,

कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, वाराणसी, बाँदा, फैजाबाद,

फिरोजाबाद—शिकोहाबाद, हापुड़—पिलखुआ, झाँसी तथा सहारनपुर।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—24 सितम्बर, 2002

विषय : नगरों की महायोजनाओं के अन्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक दिनांक 28.8.2002 के कार्यवृत्त का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके मद संख्या—19 के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गई है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स का प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनांक 20.9.2002 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा जारी संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग—5 “प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण/प्रिटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थीं, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है,

(i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक—1.1 पर एकल आवास को कृषि भू—उपयोग जोन के (कालम—14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(ii) क्रमांक—1.2 पर समूह आवास (युप हाउसिंग) को कृषि भू—उपयोग जोन के कालम—14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(iii) क्रमांक—6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक—6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू—उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएः—

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जौन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के वर्ष 2000-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अविलम्ब विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में अंगीकृत कराने के उपरान्त शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 3701(1)9-आ-3-72वि0 / 94 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, वाराणसी, बांदा, फैजाबाद, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, हापुड-पिलखुआ, झांसी तथा सहारनपुर, विकास प्राधिकरण, ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

विकास प्राधिकरण,

रायबरेली।

आवास अनुभाग—3

लखनऊः दिनांक—24 सितम्बर, 2002

विषय : रायबरेली महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 279 अभि/रा.वि.प्रा./2002-03/2002 दिनांक 31.8.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव रायबरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड की 45वीं बैठक दिनांक 19.3.2002 में मद संख्या—5 में यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग—5 ‘प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण/प्रिटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है, अतः रायबरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :—

(i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक—1.1 पर एकल आवास को कृषि भू—उपयोग जोन के (कालम—14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को **निषिद्ध** दर्शाया जाए,

(ii) क्रमांक—1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू—उपयोग जोन के कालम—14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को **निषिद्ध** दर्शाया जाए,

(iii) क्रमांक—6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक—6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू—उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएः—

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध—सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू—उपयोग जोन्स में

उक्त क्रिया को अनुमत्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के वर्ष 2000–01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 3702(1)9—आ—3—72वि०/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, रायबरेली विकास प्राधिकरण, ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

हापुड़—पिलखुआ विकास प्राधिकरण,

हापुड़।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—17 अक्टूबर, 2002

विषय : हापुड़—पिलखुआ महायोजनात्तर्गत संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 292 दिनांक 30.8.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव हापुड़—पिलखुआ विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 06.8.2002 को आयोजित बैठक में शासन की औद्योगिक एवं फिल्म नीति के परिप्रेक्ष्य में विशेषकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हापुड़—पिलखुआ विकास प्राधिकरण बोर्ड में निम्न संशोधनों सहित अंगीकृत प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है :—

(i) “बृहद् उद्योग” भू—उपयोग जोन में पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज एवं उच्च तकनीकी एवं मैनेजमेन्ट संस्थान, सिनेमा तथा मल्टीप्लेक्स विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य होगा,

(ii) “सार्वजनिक एवं अर्द्ध—सार्वजनिक सुविधाएं” भू—उपयोग में पशुबधशाला शहरीकरण क्षेत्र (न्ताइंदंपैइसम) के बाहर सशर्त अनुमन्य होगा,

(iii) आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुलग्नक—(ए) के अनुसार अनुमन्य दैनिक उपयोग की दुकानों हेतु प्रभाव शुल्क देय होगा।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग—5 “प्रमुख भू—उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता प्राविधानों में टंकण/प्रिटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है :—

(i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(ii) क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (युप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(iii) क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :-

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण आवास विभाग के वर्ष 2002-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नए जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (6 पृष्ठ)

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : (1)9-आ-3-72वि०/94 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, हायुड-पिलखुआ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,

इलाहाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3

दिनांक : 5 अप्रैल, 2003

विषय : इलाहाबाद महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—408/सचिव/मु.न.नि/वि.प्रा./2002 दिनांक 06.01.2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या—379/9—आ—3—72 वि./ 94 दिनांक 25.1.2002 तथा शासनादेश संख्या—3701/9—आ—3—72 वि./94 दिनांक 24.09.2002 के अधीन किए गये संशोधनों का प्रस्ताव इलाहाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 24.8.2002 को आयोजित बैठक में मद संख्या—7, संकल्प संख्या—1253 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू—उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

3. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या—1534(1) / 9—आ—3—2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

दिवाकर त्रिपाठी

विशेष सचिव।

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/नियन्त्रक प्राधिकारी,

समस्त विनियमित क्षेत्र,

उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक—23 अक्टूबर, 2002

विषय : विनियमित क्षेत्रों की महायोजनाओं के अन्तर्गत संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2898/9—आ—3—72—वि/94 दिनांक 30.6.2001 तथा इसके अनुक्रम में शासनादेश संख्या—379/9—आ—3—72वि/94 दिनांक 25.1.2002 (प्रतिलिपियाँ सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की एक प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इसे नियन्त्रक प्राधिकारी सभा में आवश्यक परिष्कारों सहित अंगीकृत करने के उपरान्त एक माह के अन्दर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें। जिन विनियमित क्षेत्रों ने पूर्व में जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत कर लिया है, द्वारा भी संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स को पुनः अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए। यदि नियन्त्रक प्राधिकारी सभा की बैठक के आयोजन में विलम्ब हो, तो इसे परिचालन द्वारा अंगीकृत किए जाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाए।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 4042(1)9—आ—3—02—72वि०/94 तददिनांक ।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु ।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव ।